

#### अंसाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2015/चैत्र 25, 1937

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015/CHAITRA 25, 1937

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 290(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 को संशोधित करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 542(अ), तारीख 30 जुलाई, 2014 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 30 जुलाई, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (छटा संशोधन) नियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातु :--

"118. गित नियंत्रक :- (1) इसमें यथा उपबंधित के सिवाय, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित और 1 अक्तूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक परिवहन यान को यान विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जाएगा या उसमें गित नियंत्रक लगाया जाएगा, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गित का होगा:

परंतु परिवहन यान निम्नलिखित होंगे :-

- (i) दोपहिया;
- (ii) तिपहिया;
- (iii) चौपहिया साइकिल;
- (iv) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ-साथ 8 यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;
- (v) अग्निशामक;
- (vi) एंबुलेंस ;
- (vii) पुलिंस यान ;
- (viii) नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है,

को गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) से सुसि ज्जित या लगाने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि 1 अक्तूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित परिवहन यान जैसे डम्पर, टैंकर, स्कूल बस, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं या वाहनों का कोई अन्य प्रवर्ग, जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या वे विनिर्माता द्वारा या विनिर्माता के स्तर पर या व्यवहारी के प्रस्तर पर सुसज्जित होंगे या लगाए जाएंगे, में समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप नियत की गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) सुसज्जित करने की अपेक्षा होगी:

(2) राज्य सरकार 1 अक्तूबर, 2015 को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकृत परिवहन यानों के प्रवर्ग 1 अक्तूबर, 2015 का या उससे पूर्व राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिसमें कोई गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) पहले से ही लगी है और उपयुक्त उपनियम (1) के पहले परंतुक के अधीन नहीं आते हैं, उक्त ऐसे परिवहन यानों, उक्त यानों के प्रचालनों द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 018/2001 के अनुरूप समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 80 किलोमीटर की अधिकतम पूर्व नियत गित या ऐसी निम्न गित सीमा को गित नियंत्रक (गित सीमित करने वाली युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित करने या लगाने की अपेक्षा होगी:

परंतु 1 अक्तूबर, 2015 से पूर्व रिजस्ट्रीकृत परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यान प्रवर्ग और परिवहन यान जैसे डंपर, टैंकर या स्कूल बस और जिनमें, कोई गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) पहले ऐसी नहीं लगी है, ऐसे यानों के प्रचालन को समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियत की गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गित रखने वाले गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) ऐसा अन्य कम गित सीमित करने वाले, सुसज्जित करने या लगाने की अपेक्षा होगी।

[फा. सं. आरटी-11017/13/2005-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 225(अ), तारीख 26 मार्च, 2015 द्वारा किया गया

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2015

G.S.R. 290(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 542(E), dated the 30<sup>th</sup> July, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section (3), Subsection (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30<sup>th</sup> July, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), for rule 118, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "118. Speed governor.- (1) Every transport vehicle notified by the Central Government under subsection (4) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), save as provided herein, and manufactured on or after the 1<sup>st</sup> October, 2015 shall be equipped or fitted by the vehicle manufacturer, either in the manufacturing stage or at the dealership stage, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 80 kilometre per hour conforming to the Standard AIS 018/2001, as amended from time to time:

Provided further that the transport vehicles that are-

- (i) two wheelers;
- (ii) three wheelers;
- (iii) quadricycles:
- (iv) four wheeled and used for carriage of passengers and their luggage, with seating capacity not exceeding eight passengers in addition to driver seat (M1 Category) and not exceeding 3500 kilogram gross vehicle weight;

- (v) fire tenders;
- (vi) ambulances;
- (vii) police vehicles;
- (viii) verified and certified by a testing agency specified in rule 126 to have maximum rated speed of not more than 80 kilometer per hour,

shall not be required to be equipped or fitted with speed governor (speed limiting device or speed limiting function):

Provided further that the transport vehicles manufactured on or after 1<sup>st</sup> October, 2015 that are dumpers, tankers, school buses, those carrying hazardous goods or any other category of vehicle, as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette from time to time, shall be equipped or fitted by the vehicle manufacturer, either in the manufacturing stage or at the dealership stage, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum speed of 60 kilometer per hour conforming to the Standard AlS 018/2001, as amended from time to time.

(2) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify on or before 1<sup>st</sup> October, 2015, the categories of transport vehicles registered prior to the 1st October, 2015 which are not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), and are not covered under the first proviso to sub-rule 1 above, that such transport vehicles shall be equipped or fitted by the operators of those vehicles on or before 1<sup>st</sup> April, 2016 with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), having maximum pre-set speed of 80 kilometre per hour or such lower speed limit as specified by the State Government from time to time, conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time:

Provided that the categories of transport vehicles carrying hazardous goods and those transport vehicles that are dumpers, tankers or school buses, registered prior to the 1<sup>st</sup> October, 2015 and not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), shall be equipped or fitted by the operator of such vehicle, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 60 kilometre per hour or such other lower speed limit as may be specified by the State Government, conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time".

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 225(E) dated the 26th March, 2015.